एएफआर

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**
**आपराधिक अपील संख्या 59/1999**
**निर्णय सुरक्षित रखा गया : 23.01.2023**
**निर्णय दिया गया :07.07.2023**

शत्रुघ्न लाल वर्मा पुत्रघनाराम वर्मा, आयु 50 वर्ष, एस. डी. ओ. फोन, भोपाल, निवासी 55/4–बी, साकेत नगर, भोपाल तलपारा, बिलासपुर (म. प्र.) (अब छ.ग)

**---------अपीलार्थी**

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य, सी. बी. आई. के माध्यम से, जबलपुर (अब छ.ग.)

-------उत्तरवादी

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**अपीलार्थी हेतु :** श्री सोमनाथ वर्मा, अधिवक्ता।

**सीबीआई हेतु** :श्री हिमांशु पांडे, अधिवक्ता

---

माननीय श्री न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास

सीएवी निर्णय

**1.** दं. प्र. सं की धारा 374 (2) के तहत अपीलकर्ता द्वारा की गई यह आपराधिक अपील विशेष आपराधिक मामले संख्या 31/1997 में विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, जबलपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश दिनांक 17.12.1998 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके तहत अपीलार्थी को निम्नानुसार दोषी ठहराया जाता है तथा दंडित किया जाता है :–

| दोषसिद्धि | दंड | चुक करने पर |
|---|---|---|
| भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 के तहत | 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये का जुर्माना | 6 माह का कठोर कारावास |
| भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (1) (घ) तथा सहपठित धारा 13(2) के तहत | 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये का जुर्माना | 6 माह का कठोर कारावास |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि सुसंगत समय में अपीलार्थी बिलासपुर में एसडीओ फोन के रूप में कार्यरत था।एलआईसी में विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत परिवादी उदय कुमार सिन्हा (पीडब्लू–1) ने विभाग से टेलीफोन कनेक्शन दिया था क्योंकि जो उपकरण उन्हें प्रदान किया गया था कि उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने उपकरण बदलने हेतु अपीलार्थी से संपर्क किया। आरोप यह है कि अपीलकर्ता ने यंत्र को बदलने के लिए 200/– रुपये रिश्वत की मांग की, क्योंकि परिवादी उसे रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने सीबीआई इंस्पेक्टर को एक लिखित शिकायत ( प्र.पी/1) की और लिखित शिकायत के आधार पर, विनय कुमार ने स्वतंत्र गवाह अनिल कुमार (पीडब्लू–1) तथा के.के मिश्रा (पीडब्लू–6) के समक्ष एसईसीएल गेस्ट हाउस में बिना नंबर की एफआईआर (प्र.पी/10) दर्ज कराई।दोनों साक्षियों ने परिवादी से परिवाद के बारे में पूछताछ की।परिवादी ने ट्रैप टीम के सदस्य के समक्ष दूषित टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं तथा परिवादी को सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया गया था जिसके बाद ज्ञापन (प्र.पी/2) तैयार किया गया था।सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् ट्रैप दल ट्रैप के लिए टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय पहुंची। अनिल कुमार (पीडब्लू–1) के साथ परिवादी ,अपीलकर्ता के कक्ष में

प्रवेश किया तथा मांगने पर परिवादी ने अपीलकर्ता को 200/– रुपये दिए थे, तब अपीलकर्ता ने यन्त्र बदलने के लिए राम भरोसे (पीडब्लू–2) को एक आदेश (प्र.पी/–3) पारित किया था।इसके बाद, राम भरोसे अपने साथ यंत्र लाए तथा उसे परिवादी को सौंप दिया।कार्यालय से बाहर आने के बाद, शिकायतकर्ता ने ट्रैप टीम/सीबीआई के सदस्य को संकेत दिया, जिन्होंने अपीलकर्ता के कक्ष में प्रवेश किया और आरोपी को पकड़ लिया और सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया, जिसमें अपीलकर्ता का बायां हाथ धोया गया,जो गुलाबी रंग में बदल दिया गया और घोल को सीलबंद बोतल में रख दिया गया और उस पर आर्टिकल सी अंकित कर दिया गया। अपीलकर्ता के अन्य हाथों को घोल से धोया गया जो भी गुलाबी हो गया और घोल को बोतल में बंद कर दिया गया और उस पर अनुच्छेद बी अंकित किया गया। अभियोजन पक्ष ने राम भरोसे (पीडब्लू–2) के दाहिने हाथ को सोडियम कार्बोनेट घोल से धोया, जो गुलाबी रंग में बदल गया और सीलबंद बोतल में रखा गया और उस पर अनुच्छेद डी अंकित किया गया। परिवादी उदय सिन्हा के हाथ उस घोल से धुलवाए गए जिसे सीलबंद बोतल में रखा गया था और जिस पर अनुच्छेद ई अंकित था। राम भरोसे (पीडब्लू–2) की शर्ट को घोल से धोया गया, जो गुलाबी भी हो गई और उस पर आर्टिकल जी अंकित कर दिया गया, इसके बाद ज्ञापन (प्र.पी/–4) तैयार किया गया और गवाहों के हस्ताक्षर लिए गए थे।स्टॉक इश्यू रजिस्टर को भी जब्त कर लिया गया था।गवाहों के बयान दर्ज किए गए तथा सभी कार्यवाही पूरी होने के पश्चात् मामला पुलिस अधीक्षक, सी. बी. आई. जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।एस. आर. जयस्वाल, पुलिस अधीक्षक, सी. बी. आई. ने आर. सी. संख्या 31ए/94 के माध्यम से 29.09.1994 पर नंबर वाली एफ. आई. आर. ( प्र.पी/12) दर्ज की।सभी बोतलों को एफएसएल, दिल्ली को जांच हेतु भेजा गया था तथा इसकी रसीद प्र.पी/13 के माध्यम से प्राप्त की गई थी।जांच पूरी होने के बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) के तहत आरोप लगाए गए और ( प्र.पी/14) के तहत अभियोजन की मंजूरी अपीलकर्ता के खिलाफ प्राप्त हुई थी, जिसके बाद विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था।

**3.** अपीलकर्ता के अपराध को स्पष्ट करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 6 साक्षियों अनिल कुमार (पीडब्लू–1), राम भरोसे यादव (पीडब्लू–2), परिवादी उदय कुमार सिन्हा (पीडब्लू–3), विनय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कुमार (पीडब्लू–4), के. नागराजन (पीडब्लू–5), के.के. मिश्रा (पीडब्लू–6) से पूछताछ की। अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष ने लिखित शिकायत ( प्र.पी/–1), ज्ञापन ( प्र.पी/–2), आवेदन दिनांक 28.09.94 (प्र.पी/–3), आवरण ज्ञापन (प्र.पी/–4), ज़ब्त ज्ञापन (प्र.पी//5 से प्र.पी//6), स्टॉक रजिस्टर (प्र.पी/–7), सूची (प्र.पी/–8), राम भरोसे ( की जाँच (प्र.पी/9), एफ़. आई. आर. (प्र.पी/10), एफ़. आई. आर. दिनांक 28.09.94 (प्र.पी/11), एफ़. आई. आर. (प्र.पी/12), एफ़. एस. एल. रीयॉर्ट (प्र.पी/13), अभियोजन के लिए मंजूरी (प्र.पी/14), सूची (प्र.पी/15ए), अभियोजन के लिए शीट (प्र.पी/15) जैसे दस्तावेज़ प्रदर्शित किए हैं।अभियोजन पक्ष ने अनुच्छेद ए–2 से ए–2 आई, जे तथा के को प्रदर्शित किया है। प्रश्न संख्या 13 में, इस गवाह ने जवाब दिया है तथा अपने बचाव में वही रुख दोहराया है तथा राम भरोसे (प्र.डी/–1), आवेदन दिनांक 01.10.1994, डाक रसीद (प्र.पी–2), तार (प्र.पी–3 तथा रसीद (प्र.डी–1 से (प्र.डी–4 का बयान भी प्रदर्शित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अभियुक्त/अपीलार्थी का बयान दं. प्र. सं कि धारा 313 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें उसने अपने खिलाफ लगाए गए आरोप से इनकार किया है तथा निर्दोषता तथा झूठा फसाया जाने का अनुरोध किया है।उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी भी परिवादी से उपकरण बदलने के लिए पैसे की मांग नहीं की है और परिवादी ने जानबूझकर पैसे देने का आशय किया है,तथा जब उसने दस्तावेज बदलने के लिए पैसे लेने से इनकार कर दिया तो परिवादी ने उसके हाथ में पैसे दे दिए, जिसे उसने फर्श पर फेंक दिया, जिसे बाद में राम भरोसे ने अपनी जेब में रख लिया। वह प्रस्तुत करते है कि पहले राम भरोसे को आरोपी बनाया गया था तथा उसके बाद उसे आरोपमुक्त कर दिया गया था तथा मामले का साक्षी बनाया गया था।उन्होंने दोहराया है कि उन्होंने कभी भी परिवादी से पैसे की मांग नहीं की है।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने अपना निष्कर्ष दर्ज किया है कि परिवादी ने आरोपी/अपीलकर्ता को पैसे दिए थे जो बाद में राम भरोसे ने रख लिए थे।विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी दर्ज किया है कि परिवादी द्वारा आरोपी को दिया गया पैसा उसके कर्तव्य के निर्वहन के लिए नहीं दिया गया था, बल्कि टेलीफोन उपकरण बदलने के लिए पैसा दिया गया था क्योंकि अपीलकर्ता लोक सेवक के रूप

में कार्यरत था तथाउसने 200/– रुपये की अवैध परितोषण की मांग की है, जिससे अपीलकर्ता ने अवैध साधन अपनाकर आपराधिक दुराचार किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों सामग्री की सराहना करने के बाद अपीलकर्ता को दिनांक 17.12.1998 के दंड के निर्णय और दंडादेश के तहत दोषी ठहराया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।दोषसिद्धि तथा दंडादेश के उपरोक्त निर्णय से व्यथित तथा असंतुष्ट होने के कारण, अपीलार्थी द्वारा वर्तमान आपराधिक अपील को प्राथमिकता दी गई है।

6. अपीलार्थी के अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि विचारण न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रही है कि अपीलार्थी पर वाद चलाने हेतु दी गई मंजूरी वैध मंजूरी नहीं है।अभिलेख पर दस्तावेज़ तथा साक्ष्य से पता चलता है कि मंजूरी बुद्धि के प्रयोग से नहीं दी गई है, जैसे कि यह एक वैध मंजूरी नहीं है तथा अमान्य मंजूरी के बल पर अपीलार्थी पर वाद नहीं चलाया जा सकता है। वे व्यक्त करते है कि दं. प्र. सं. की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता का परीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि रीडर द्वारा आरोपी से प्रश्न पूछे गए और उत्तर उसके लेखन में दिए गए हैं जो दं. प्र. सं. के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है।वह आगे कहते है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य यह स्थापित नहीं करते हैं कि अपीलकर्ता ने किसी रिश्वत की मांग की थी जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला स्थापित करने के लिए सर्वोपरि विचार है। वह प्रस्तुत करते है कि ट्रैप में भाग लेने वाले अभियोजन पक्ष के कोई भी साक्षी स्वतंत्र साक्षी नहीं थे और वे हितबद्ध साक्षी थे और दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को रद्द करने के लिए प्रार्थना करते है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने निवेदन को प्रमाणित करने हेतु **मधुसूदन प्रसाद गुटपा बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1981 सी. आर. आई. एल. जे. 571, राज्य बनाम काशीनाथ 2010 (1) ए. आई. आर. 706, भगवान महादेव बनाम राज्य 2011 ए. आई. आर. बम आर 479, सेजेप्पा बनाम राज्य ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 2045, मोहम्मद इकबाल अहमद बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 677, महाराष्ट्र राज्य बनाम काशीनाथ 2010 सी. आर. आई. एल. जे. (एन. ओ. सी.) 544, कर्नाटक राज्य बनाम अमीर जान, ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 108, अय्यासामी बनाम राज्य 1996 सी. आर. आई. एल. जे. 119, डी. वेंकटसन बनाम राज्य 1997 सी. आर. आई. एल. जे. 1287, पेरियासामी बनाम निरीक्षक, सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

तिरुचिरापल्ली 1994 सी. आर. आई. एल. जे. 753, अरुण प्रह्लाद काले बनाम महाराष्ट्र राज्य 1992 सी. आर. आई. एल. जे. 1142, जगन्नाथ मारुति टेकाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1991 (1) एम. एच. एल. जे. 976, शिवचलप्पा गुरुमोर्त्याप्पा लोनी बनाम राज्य नंजुंडिया बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 2402, एम. पी. राज्य बनाम जे. बी. सिंह, ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 3562, राम समुख बिरजू राम मौर्य बनाम एम. पी. राज्य 2002 (2) एम. पी. एल. जे. 85, जगन शेषाद्रि बनाम टी. एन. राज्य। 2003 एस. सी. सी. (सी. आर.) 1494, मुख्तियार अहमद अंसार बनाम राज्य ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 2804, अश्विनी कुमार बनाम राज्य पंजाब । (1994) सी. सी. आर. 395, सोम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 665, रघबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर. 19776 एस. सी. 91, सुभाष पर्वत सोनवाने बनाम गुजरात राज्य, ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 2169, जगन एम. शेषाद्री बनाम टी. एन. राज्य। 2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1994, जगदीश चंद्र मखीजा बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1990 एम. पी. एल. जे. 239, बनारसी दास बनाम राज्य 2010 ए. आई. आर. एस. सी. एन. 2282, मध्य प्रदेश राज्य बनाम जे. बी. सिंह ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 3562, बंशी लाल यादव बनाम बिहार राज्य ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1235, श्रीमती. मीना बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 3377, मान सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन। ए. आई. आर 1979 एस. सी. 1455, के. नरसिम्हाचारी बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो 2003 सी. आर. आई. एल. जे. 3315, जी. वी. नंजुदिया बनाम दिल्ली राज्य प्रशासन ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 2402, आर. सी. मेहता बनाम पंजाब राज्य 1971 सी. आर. आई. एल. जे. 1119, सुभाष पर्वत सोनवाने बनाम गुजरात राज्य ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 2169 तथा कृष्ण कुमार बनाम पंजाब राज्य 1978 सी. एल. आर. 58 (पी.एच) तथा सुख देव सिंह बनाम। राज्य 1974 (II) सी. एल. आर. 66, डी. वेलायुथम बनाम। राज्य प्रतिनिधि द्वारा पुलिस निरीक्षक, सलेम तोवन चेन्नई ने 2011 की आपराधिक अपील संख्या 787 में फैसला किया कि 10.02.2015, सनतम नस्कर तथा अन्र बनाम.2008 की आपराधिक अपील संख्या 686 में पश्चिम बंगाल राज्य ने 8 जुलाई, 2010 को निर्णय लिया, पी. सत्यनारायण मूर्ति बनाम। जिला.पुलिस निरीक्षक ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 3549 तथा कालीचरण तथा अन्य बनाम।उत्तर प्रदेश राज्य 2022 लाइव ला

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(एससी) 1027 के मामलों में निर्णयों पर भरोसा किया है तथा दोषसिद्धि के आदेश को रद्द करने हेतु प्रार्थना करते है।7. दूसरी ओर, सीबीआई के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क का विरोध किया और कहा कि अभियोजन पक्ष ने गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद उचित संदेह से परे अपना मामला साबित कर दिया है।वह प्रस्तुत करते है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी के खिलाफ अपना मामला सफलतापूर्वक साबित कर दिया है तथा आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए सीबीआई के विद्वान अधिवक्ता ने हजारी लाल बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) 1980 (2) एससीसी 390, रमेश हरिजन बनाम यूपी राज्य 2012(5) एससीसी 777, प्रकाश सिंह बादल और अन्य बनामपंजाब राज्य तथा अन्य। (2007) 1 एससीसी1, कर्नाटक राज्य बनाम अमीरजन (2007) 11 एस. सी. सी. 273, बलिराम एस/ओइरप्पा कांबले बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2008) 14 एस. सी. सी. 779, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य बनाम महेश जी. जैन (2013) 8 एस. सी. सी. 119, सी. के. दासेगौड़ा तथा अन्य बनाम एस.कर्नाटक राज्य (2014) एस. सी. सी. 119, बिहार राज्य तथा अन्य बनाम राजमंगल राम (2014) 11 एस. सी. सी. 388, एल. लक्ष्मीकांत बनाम राज्य पुलिस अधीक्षक लोकायुक्ता द्वारा (2015) 4 एस. सी. सी. 222, नंजप्पा बनाम कर्नाटक राज्य (2015) 14 एस. सी. सी. 186 तथा मिजोरम राज्य बनाम सी. संगंघिना (2019) 13 एस. सी. सी. 335 के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया तथा अपील को खारिज करने हेतु प्रार्थना करते है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा अभिलेखों का अवलोकन किया है।

9. मामले के उपरोक्त तथ्यात्मक बिंदु से, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला बिंदु इस प्रकार है:–

(I) क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा306 तथा 307 के तहत प्रक्रिया का पालन किए बिना अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त रामभरोसे के साक्ष्य को सरकारी गवाह के रूप में दर्ज करना उचित ठहराया, यदि हां, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

(2) क्या अभियोजन पक्ष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है? .

10. अपीलार्थी के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने अनिल कुमार (पीडब्लू–1) से पूछताछ की है, जिरह में इस गवाह ने कहा है कि जब परिवाद ने दस्तावेज बदलने के लिए कहा तो अपीलार्थी ने आवेदन देने के लिए कहा तथा परिवादी द्वारा आवेदन जमा करने के पश्चात् , अपीलार्थी ने भृत्य को निर्देश दिया था, इसके पश्चात् अपीलार्थी ने कहा कि जो भी राशि देने के लिए कहा गया था, क्या आप तैयार हैं तो परिवादी ने हां में जवाब दिया।

11. मुख्य परीक्षा मे राम भरोसे यादव (पीडब्लू–2) ने कहा कि उपकरण का दूसरा सेट लाने के पश्चात् , उसने उसे आरोपी की मेज पर रख दिया तथा परिवादी को इंतजार करने हेतु कहा जब परिवादी ने आरोपी को पैसे दिए जिसके पश्चात् आरोपी ने उसे पैसे दिए तथापरिवादी ने उसे बताया कि यह चाय तथा नाश्ते हेतु है।अपीलार्थी ने पैसा दे दिया था जो उसने अपनी जेब में रख लिया था।

12. परिवादी उदय कुमार सिन्हा (पीडब्लू–3) ने अपने मुख्य परीक्षा, में कहा है कि आरोपी ने उसे भृत्य को पैसे देने के लिए कहा था, तब उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और आरोपी को दे दिए, जो भृत्य को दे दिए गए थे।इस गवाहों से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई और कंडिका–13 में उन्होंने कहा है कि अभियुक्त ने उन्हें प्रार्थना पत्र देने के लिए कहा था, तब उन्होंने आवेदन पर आदेश दिया और नया उपकरण बुलाकर उन्हें दे दी, उस समय अभियुक्त ने 200/– रुपये की मांग नहीं की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. सहायक महानिदेशक सतर्कता के नागराजन (पीडब्लू–5) ने हस्ताक्षर की पहचान की है और अपीलकर्ता पर वाद चलाने की अनुमति दी है जिसमें उसने कहा है कि उसने मूल दस्तावेज की मांग की थी,और उसके बाद आरोपी का मूल बयान उन्होंने सदस्य सेवाओं पीएस शरण के समक्ष प्रस्तुत किया और नोट शीट दर्ज की, जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य और दस्तावेज से संतुष्ट थे, उन्होंने मंजूरी प्र.पी/15 दी है। इस गवाह ने दो मौकों पर 25.5.96 तथा 13.09.96 पर कहा है कि मंजूरी के आदेश पारित किए गए थे।प्रति परीक्षण में उन्होंने कहा कि मामले की जांच की गई तथा उसके बाद मामले को सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया तथा यदि उन्हें कुछ संदेह है तो पुनः टिप्पणी हेतु भेजें, यदि कोई टिप्पणी नहीं है तो मंजूरी दी जाती है।उन्होंने यह भी कहा कि अभिलेख देखने के पश्चात् मंजूरी दी जाती है।

**14.** ट्रैप पार्टी के सदस्य के. के. मिश्रा (पीडब्लू–6) ने कहा है कि उन्होंने नहीं देखा कि कमरे में क्या हुआ क्योंकि वह भूतल पर खड़े थे।उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि परिवादी की कमीज को सीबीआई ने नहीं धोया था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि यदि किसी ने मना कर दिया और हथेली पर पाउडर लगा दिया जाए तो वह गुलाबी हो सकती है।

**15.** आरोपी से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई, जिसमें सवाल के जवाब में उसने कहा कि उसे मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है तथा उसने कभी भी परिवादी से पैसे की मांग नहीं की है।परिवादी ने पैसे देने का बलपूर्वक प्रयास किया तो अपीलार्थी ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया तथा जब उसने बाल पूर्वक देने का प्रयास किया तो उसने अपने हाथ से नोट छीन लिए और नोट को टेबल के नीचे गिरा दिए, तब राम भरोसे ने पैसे अपनी जेब में रख लिए थे, लेकिन उसने मामले में आरोपी नहीं बनाया और उसने कभी भी परिवादी से पैसे की मांग नहीं की। प्रश्न संख्या 13 में, इस गवाह ने जवाब दिया है तथा अपने बचाव में वही रुख दोहराया है तथा राम भरोसे (प्र.डी/–1) के बयान का भी प्रदर्शन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**16.** बिन्दु संख्या 1 पर निष्कर्ष तथा विश्लेषणःअपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना था कि विद्वान विचारण न्यायालय राम भरोसे, जो अभियुक्त था, के बयान पर भरोसा करते है तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के तहत के प्रक्रिया का पालन किए बिना उसका बयान दर्ज किया गया है और उसके बयान के आधार पर ही अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया है, इस प्रकारदंड प्रक्रिया संहिता कि धारा 306 का पालन न करने के कारण वाद दूषित हो गया है तथा अभियुक्त बरी होने हेतु हकदार है।अपने तर्क को प्रमाणित करने के लिए श्री वर्मा ने ए. आई. आर. 2018 एस. सी. (सप्लीमेंट) 480 में भारत गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

**17.** दूसरी ओर, सी. बी. आई. के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते है कि अभियोजन पक्ष ने न केवल राम भरोसे के बयान के आधार पर बल्कि अन्य अभियुक्तों के आधार पर भी मामले को साबित कर दिया है तथा वे प्रस्तुत करते है कि वाद से पहले केवल दं. प्र. सं. की धारा 307 के तहत प्रक्रिया हेतु पालन नहीं किया जा सकता है।वह आगे प्रस्तुत करते है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थी के

अपराध को साबित करने हेतु पुष्टि करने वाले साक्ष्य हैं तथा अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है तथा अपील को खारिज करने हेतु प्रार्थना करते है।

**18.** बेहतर समझ के लिए, इस न्यायालय के लिए यह समीचीन है कि दं. प्र. सं. की धारा 306 का निष्कर्ष निकाला जाये जो इस प्रकार है:–

**दं. प्र. सं. की धारा 306– सह–अपराधी को क्षमा–दान–**(1) 1) किसी ऐसे अपराध से, जिसे यह धारा लागू होती है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में, और अपराध की जांच या विचारण करने वाला प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में उस व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा–दान कर सकता है कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबद्ध प्रत्येक अन्य व्यक्ति के संबंध में सब परिस्थितियों का, जिनकी उसे जानकारी हो, पूर्ण और सत्य प्रकटन कर दे .

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) यह धारा निम्नलिखित को लागू होती है :

(क) अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा या दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का 46) के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध ;

(ख) ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो या अधिक कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध ।

(3) प्रत्येक मजिस्ट्रेट, जो उपधारा (1) के अधीन क्षमा–दान करता है, –

(क) ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा ;

(ख) यह अभिलिखित करेगा कि क्षमा–दान उस व्यक्ति द्वारा, जिसको कि वह किया गया था स्वीकार कर लिया गया था या नहीं, और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे ऐसे अभिलेख की प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन क्षमा–दान स्वीकार करने वाले–
(क) प्रत्येक व्यक्ति की अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में और पश्चात्वर्ती विचारण में यदि कोई हो, साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी ;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को, जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर न हो, विचारण खत्म होने तक अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाएगा ।

(5) जहां किसी व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन किया गया क्षमा–दान स्वीकार कर लिया है और उसकी उपधारा (4) के अधीन परीक्षा की जा चुकी है, वहां अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट, मामले में कोई अतिरिक्त जांच किए बिना, –(क) मामले को–
(i) यदि अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या यदि संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो, उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा ;
(ii) यदि अपराध अनन्यतः दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का 46) के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा ;
(ख) किसी अन्य दशा में, मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के हवाले करेगा जो उसका विचारण स्वयं करेगा ।दं. प्र. सं. कि धारा 307 ––क्षमादान का निदेश देने की शक्ति —— मामले की सुपुर्दगी के पश्चात् किसी समय किन्तु निर्णय दिए जाने के पूर्व वह न्यायालय जिसे मामला सुपुर्द किया जाता है किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति का साक्ष्य विचारण में अभिप्राप्त करने की दृष्टि से उस व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमा–दान कर सकता है।

**19.** बिंदु संख्या 1 का निर्धारण करने के लिए, इस न्यायालय ने आदेश पत्र का अवलोकन किया है, आदेश पत्र के अवलोकन से, यह सुस्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा राम भरोसे (पीडब्लू –2) की अभियोजन गवाह के रूप में जांच करने के लिए दं. प्र. सं. कि धारा 306 के तहत ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया गया था, जिसे पहले भी आरोपी बनाया गया था और सीबीआई द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र में आरोपी के नाम और पते के कॉलम में, जिसे सुनवाई के लिए नहीं भेजा गया था, उसे गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, जिसमें फरार अभियुक्तों सहित राम भरोसे का नाम अंकित किया गया है , दं. प्र. सं.

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की धारा 164 के तहत उनके बयान पर भरोसा करते हुए यह दर्ज किया गया कि उन्हें रिश्वत की मांग और स्वीकार करने से कोई लेना–देना नहीं थाऔर वह केवल एसडीओ फोन श्री एसएलवर्मा के आदेश को लागू कर रहे थे और राम भरोसे को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया था, पहले उन्हें इसमें शामिल किया गया था, उन्हें अभियुक्तों की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन दं. प्र. सं. की धारा 164 (प्र. डी–1) के तहत दर्ज किए गए उनके बयान पर राम भरोसे को अभियोजन गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था और इस प्रकार उन्हें सरकारी गवाह बना दिया गया था।

20. दं. प्र. सं. की धारा 306 के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अन्वेषण या जांच के किसी भी चरण में, या अपराध की सुनवाई, और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं या अपराध का अन्वेषण या विचारण के किसी भी चरण में, अपराध का प्रयास करने वाले व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान दिया जा सकता है कि वह अपराध के संबंध में अपनी जानकारी में मौजूद सभी परिस्थितियों का पूर्ण और सत्य रूप से खुलासा कर दे। प्रत्येक अन्य संबंधित व्यक्ति, चाहे वह प्रधान या दुष्प्रेरक के रूप में हो, उसके आयोग में मजिस्ट्रेट जो उप–धारा के तहत क्षमा दान प्रदान करता है, ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा; क्या निविदा उस व्यक्ति द्वारा स्वीकार की गई थी या नहीं, जिसे यह दी गई थी, और आरोपी द्वारा किए गए आवेदन पर, उसे ऐसे अभिलेख की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. मुद्दा यह है कि क्या भारत गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य एआईआर 2018 एससी (सप) 480 के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष क्षमादान के लिए धारा 306 दं. प्र. सं. के तहत कोई आवेदन दिए बिना वाद को दूषित कर दिया जाएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 9 और 10 को निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है :–

9. भौतिक तथ्य का तीसरा गवाह पीडब्लू 5 श्याम वर्मा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह आरोपी ललित (ए–1) के साथ मृतक के साथ था।हम यह समझने में असफल हैं कि जांच के बाद हालांकि दोनों की भूमिका समान थी लेकिन ललित को आरोपी बना दिया गया और श्याम वर्मा को अभियोजन पक्ष का गवाह बना दिया गया,ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की

धारा 306 के तहत अभियोजन गवाह के रूप में पूछताछ करने से पहले श्याम वर्मा को क्षमा करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई आवेदन दायर किया गया था।

10. अपीलकर्ताओं की ओर से श्री केटीएस तुलसी, वरिष्ठ अधिवक्ता, एडमभाई सुलेमानभाई अजमेरी और अन्य बनाम गुजरात राज्य (2014) 7 एससीसी 716 (पैराग्राफ 143) के मामले का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करते है कि एक अनुमोदक सबसे अयोग्य मित्र है, यदि सब, तथा उसे अपनी प्रतिरक्षा हेतु सौदेबाजी करने के बाद, न्यायालय में विश्वसनीयता हेतु अपनी योग्यता साबित करनी चाहिए।भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 का दृष्टांत (बी) यह प्रावधान करता है कि न्यायालय यह मान सकती है कि एक सह अपराधी श्रेय के योग्य नहीं है जब तक कि उसके साक्ष्य की भौतिक विशिष्टताओं से पुष्टि न हो जाए।उसकी गवाही की पुष्टि बहुत कम प्रतीत होती है।साक्ष्य की जांच करने के बाद, हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पीडब्लू 5 की गवाही पर भरोसा करके विधिक त्रुटि की है, जिस व्यक्ति की भूमिका आरोपियों में से एक के समान है।तथ्य के अन्य दो गवाहों पीडब्लू 2 जितेंद्र सिंह तथा पीडब्लू 3 राम लक्ष्मण ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जून 2023 2023 को आपराधिक अपील संख्या 2417/2010 में पुलिस निरीक्षक द्वारा ए. श्रीनिवासुलु बनाम राज्य प्रतिनिधि के मामले में लाइव लॉ (एससी) 485 को पैराग्राफ 70 से 71 तक में रखा है, जो इस प्रकार है:–

70. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, इस न्यायालय ने सुरेश चंद्र बाहरी बनाम बिहार राज्य 1995 सप्लिमेंट (1) एससीसी 80 में अपने पिछले फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः–

"30. संहिता की धारा 376 की उप–धारा (4) के खंड (ए) को केवल पढ़ने से यह पता चलता है कि उप–धारा (1) के तहत की गई क्षमादान की निविदा को स्वीकार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से अपराध का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गवाह के रूप में पूछताछ की जानी चाहिए तथा बाद के विचारण में, यदि कोई हो।उप–धारा (5) में आगे यह प्रावधान है कि अपराध का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट मामले में कोई और जांच किए बिना, यथास्थिति, उप–धारा (5) के खंड (ए) के खंड

(i) या (ii) में उल्लिखित न्यायालयों में से किसी एक को विचारण हेतु प्रतिबद्ध करेगा।संहिता की धारा 209 उन मामलों को सत्र न्यायालय में सौंपने से संबंधित है जब अपराध की सुनवाई विशेष रूप से उसी न्यायालय द्वारा की जाती है।अपराध का संज्ञान लेने वाले मजिस्ट्रेट की न्यायालय में गवाह के रूप में क्षमादान स्वीकार करने के बाद सहयोगी या अनुमोदक की परीक्षा एक अनिवार्य प्रावधान है और इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है और यदि इस अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया जाता है तो यह विचारण को दूषित कर देता है।जैसा कि धारा 306 की उप–धारा (1) में परिकल्पना की गई है,क्षमादान की निविदा इस शर्त पर की जाती है कि एक अनुमोदक अपराध से संबंधित अपनी जानकारी के भीतर सभी परिस्थितियों का पूर्ण और सत्य खुलासा करेगा।परिणामस्वरूप ,प्रतिबद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष गवाह के रूप में अनुमोदनकर्ता की जांच करने में विफलता न केवल धारा 306 की उप–धारा (4) के खंड (ए) में निहित अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन होगी,लेकिन यह सभी चरणों में मामले का पूर्ण और स्पष्ट खुलासा करने के कर्तव्य के साथ असंगत और उल्लंघन भी होगा। धारा 376 की उप–धारा (4) के खंड (ए) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन अनिवार्य प्रकृति का है तथा केवल निर्देशिका नहीं है तथा इसलिए, इसका पालन न करने से प्रतिबद्ध आदेश अवैध हो जाएगा।इस अनिवार्य प्रावधान को लागू करने का उद्देश्य और उद्देश्य स्पष्ट रूप से आरोपी को सुरक्षा प्रदान करना है क्योंकि अनुमोदनकर्ता को प्रतिबद्ध आदेश देने से पहले प्रारंभिक चरण में अपने साक्ष्य का खुलासा करते हुए एक बयान देना होता है और आरोपी को न केवल अपने खिलाफ सबूतों के बारे में पता चलता है बल्कि उसे प्रतिबद्ध न्यायालय के सामने ही एक अनुमोदक के साक्ष्य के साथ मिलने का अवसर भी दिया जाता है ताकि वह यह दिखाने के लिए कदम उठा सके कि परीक्षण के दौरान अनुमोदक का साक्ष्य अविश्वसनीय था,यदि विचारण में उसकी गवाही के दौरान उसके द्वारा कोई विरोधाभास या सुधार किया गया हो।यही कारण है कि 16 1995 सप्लिमेंट (1) एससीसी 80 में अनुमोदक की दो चरणों में जांच का प्रावधान किया गया है और यदि उक्त अनिवार्य प्रावधान का अनुपालन नहीं किया जाता है,तो आरोपी को उक्त लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।इससे उसके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बन सकता है जिसके परिणामस्वरूप न्याय विफल हो सकता है क्योंकि वह अनुमोदक के साक्ष्य को अविश्वसनीय दिखाने का अवसर खो देगा।संहिता की धारा 306 की उप–धारा (4) के आगे खंड (बी) से यह भी पता चलता है कि यह अनिवार्य है कि जिस व्यक्ति ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्षमादान स्वीकार कर लिया है, उसे, जब तक कि वह पहले से ही जमानत पर न हो, विचारण की समाप्ति तक अभिरक्षा में रखा जाएगा।इसलिए, हमें यह भी देखना है कि क्या वर्तमान मामले में इन दो अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन किया गया था या नहीं ,यदि इसका अनुपालन नहीं किया गया, तो ऐसे गैर–अनुपालन का विचारण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ”

यह देखना दिलचस्प है कि सुरेश चंद्र बहरी मामले में, इस न्यायालय ने पहले यह निर्णय दिया कि संहिता की धारा 376 (4) (ए) में निर्धारित प्रक्रिया अनिवार्य है तथा निर्देशिका नहीं है तथा इसका पालन न करने से प्रतिबद्धता आदेश अवैध हो जाएगा।इस तरह के निर्णय पश्चात् इस न्यायालय ने ऊपर निकाले गए पैरा 30 की अंतिम पंक्ति में एक सवाल उठाया कि मुकदमे पर इस तरह के गैर–अनुपालन का क्या प्रभाव पड़ता है।इस सवाल का जवाब देते हुए, इस न्यायालय ने सुरेश चंद्र बहरी में पाया कि जिस न्यायालय में मामला किया गया था, उसने इस अनियमितता को सीमा पर भी देखा तथा इसलिए मामले को सरकारी गवाह की गवाही दर्ज करने हेतु मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया।इस प्रकार परीक्षण से पहले दोष ठीक हो गया और इसलिए इस न्यायालय ने निर्णय के पैराग्राफ 31 में कहा कि अंततः आरोपी को कोई पूर्वाग्रह या नुकसान नहीं दिखाया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में, विशेष न्यायालय संज्ञान लेने का विकल्प चुनता है, धारा 306 (4) (ए) के अनुसार मजिस्ट्रेट की न्यायालय में गवाह के रूप में अनुमोदनकर्ता की जांच करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि विशेष न्यायालय को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति के साथ–साथ सत्र न्यायाधीश की भी शक्ति प्राप्त है।अभिलेख से, यह स्पष्ट है कि राम भरोसे को क्षमा करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दं. प्र. सं. की धारा 306 के तहत ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया गया था। स्वयं मजिस्ट्रेट/सत्र न्यायाधीश से इस तरह के आवेदन या आदेश के अभाव में, सह–अभियुक्त राम भरोसे के बयान पर निचली न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए था।माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदमभाई सुलेमानभाई अजमेरी तथा अन्य बनाम गुजरात राज्य (2014) 7 एस. सी. सी. 716 के मामले में अनुच्छेद 143 से 145 में निर्णय दिया है जो इस प्रकार हैः–

143. सहयोगियों के साक्ष्य की योग्यता के आधार पर जांच करने से पहले, हमें स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि सह अपराधी के साक्ष्य स्वीकार्य हैं।इस बिंदु पर दोहरा परीक्षण इस न्यायालय द्वारा रविंदर

सिंह बनाम हरियाणा राज्य 49 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में निर्धारित किया गया है, जिसे मृणाल दास और अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य के मामले में दोहराया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने रविंदर सिंह मामला (सुप्रा) इस प्रकार है:

"12. एक सरकारी गवाह सबसे अयोग्य दोस्त होता है, तथा उसे, अपनी प्रतिरक्षा हेतु सौदेबाजी करने के बाद, न्यायालय में विश्वसनीयता हेतु अपनी योग्यता साबित करनी चाहिए।यह परीक्षण पूरा हो गया है, सबसे पहले, यदि वह जो कहानी सुनाता है वह उसे अपराध में शामिल करता है और आंतरिक रूप से घटित घटनाओं की एक प्राकृतिक और संभावित सूची प्रतीत होती है।यदि वास्तविकता के अनुसार संक्षिप्त विवरण की कथा दी जाती है, तो यह संभावना है कि इसे अस्वीकार किए जाने से बचाया जा सकता है।दूसरे, एक बार जब वह बाधा पार हो जाती है, तो जहां तक विचारण में आरोपी का सवाल है, एक अनुमोदक द्वारा दी गई कथा में उसे इस तरह फंसाया जाना चाहिए कि उचित संदेह से परे अपराध के निष्कर्ष को जन्म दिया जा सके।(1975) 3 एससीसी 742 (2011) 9 एससीसी 479 में एक विशेष मामले को नियंत्रित करने वाले सभी कारकों, परिस्थितियों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक दुर्लभ मामल, किसी अनुमोदक के अपुष्ट साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की अनुमति दी जा सकती है, जिसे न्यायालय द्वारा विश्वासपूर्वक सत्य और विश्वसनीय माना गया हो। हालांकि, आम तौर पर, एक सरकारी गवाह के बयान की पुष्टि अपराध तथा अपराधी के बीच की दूरी को बारीकी से पाटने के लिए सामग्री विवरणों में की जानी चाहिए।यदि विश्वसनीय हो, तो अन्य स्वतंत्र विश्वसनीय साक्ष्यों की कसौटी से सीधे किसी अभियुक्त से संबंधित सरकारी गवाह द्वारा प्रकट की गई संलिप्तता की कुछ निर्णायक विशेषताएँ, उसकी गवाही की स्वीकृति हेतु आवश्यक आश्वासन देंगी, जिस पर दोषसिद्धि आधारित हो सकती है।" (इस न्यायालय द्वारा जोर दिया गया)

144. वर्तमान मामले में तीनों सह अपराधी के साक्ष्यो के अवलोकन से पता चलता है कि वे सभी अक्षरधाम पर हमले के संबंध में साजिश के दायित्व से खुद को मुक्त करने हेतु इरादा रखते थे, जहां तक यह उल्लेख करने की बात है कि वे घटना में शामिल नहीं थे तथा केवल आरोपी व्यक्तियों को उन घटनाओं की श्रृंखला के जटिल विवरण के बारे में पता था जो अंततः उनकी 'नरसंहार' की योजना के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निष्पादन हेतु कारण बने।फिर भी, यदि हम यह मान लेते हैं कि सहयोगियों ने यह उल्लेख करके खुद को फंसाया है कि वे किसी घटना के बारे में जानते थे जो होने वाली थी तथा इस प्रकार, आपराधिक साजिश का हिस्सा थे, तो सहयोगियों का साक्ष्य दूसरे परीक्षण में विफल हो जाता है, क्योंकि यह आरोपी व्यक्तियों के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहता है।तीनों साथियों ने 'नरसंहार' की योजना के बारे में उल्लेख किया, जिसकी योजना आरोपी व्यक्तियों ने मिलकर बनाई थी। हालाँकि, अभियुक्त व्यक्तियों तथा अक्षरधाम पर हमले के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि सहयोगियों के साक्ष्य बहुत अस्पष्ट हैं तथा वे अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी प्रकार के ठोस सबूत प्रदान करने में विफल रहते हैं।

145. इसलिए, हमें मोहम्मद हुसैन उमर कोचरा आदि बनाम के.एस. दलीपसिंहजी एवं अन्य आदि 51: (1969) 3 एससीसी 429 के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक सिद्धांत के आलोक में सहयोगियों के बयानों की जांच करने की आवश्यकता है जो निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"21. गुण–दोष पर, हम पाते हैं कि दोनों न्यायालयों ने तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष दर्ज किए हैं।आम तौर पर यह न्यायालय तब तक साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता जब तक कि निष्कर्ष विकृत न हों या विधि की किसी त्रुटि से दूषित न हों या न्याय की गंभीर विफलता न हो।अधीनस्थ न्यायालय ने साथी यूसुफ मर्चेंट की गवाही को स्वीकार कर लिया।साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 में कहा गया हैः

धारा 133 सह–अपराधी ––सह–अपराधी, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सह–अपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।धारा 114 का दृष्टांत (बी) कहता है कि न्यायालय यह मान सकती है कि एक सह–अपराधी श्रेय के योग्य नहीं है ,जब तक कि भौतिक विवरणों में उसकी पुष्टि न हो जाए।धारा 133 और 114, दृष्टांत (बी) का संयुक्त प्रभाव यह है कि यद्यपि सह– अपराधी के आधार पर दोषसिद्धि विधिक है, लेकिन न्यायालय ऐसे साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं करेगा,जब तक कि इसकी भौतिक विशिष्टताओं से पुष्टि न हो जाए।संपुष्टि, आरोपी को अपराध से जोड़ना चाहिए।यह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य हो सकता है।यह आवश्यक नहीं है कि संपुष्टि से अपराध की सभी परिस्थितियों की

पुष्टि हो।यदि भौतिक विवरण में संपुष्टि हो तो यह पर्याप्त है।संपुष्टि किसी स्वतंत्र स्रोत से होनी चाहिए। एक सह अपराधी दूसरे की संपुष्टि नहीं कर सकता, भिवा दोलू पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य और आर बनाम बास्करविले देखें।इस आलोक में हम प्रत्येक अपीलकर्ता के मामले की अलग–अलग जांच करेंगे।"

**24.** इस प्रकार विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए बचाव को अस्वीकार करते हुए कहा कि जब राम भरोसे को अभियुक्तों की सूची में शामिल किया गया था,उसे गवाह की सूची में शामिल किया जा सकता है,क्योंकि अभियुक्तों की सूची में केवल उसका नाम उल्लेख करने मात्र से उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 के अनुसार सह अपराधी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसने अपने वरिष्ठ प्राधिकारी के निर्देशन में कार्य किया है और उसे गवाह के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। विद्वत विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा306 के प्रावधानों की जांच किए बिना तथा इस विषय पर विधि पर विचार किए बिना अपना निष्कर्ष दर्ज किया है, इस प्रकार अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व है कि वह पहले सत्र न्यायाधीश के समक्ष आरोपी को क्षमादान करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के तहत एक आवेदन दायर करे, तभी उसका बयान लिया जाना चाहिए था। ऐसी किसी भी कार्यवाही के अभाव में राम भरोसे के साक्ष्य को सह ापराधी राम भरोसे के कथन पर निर्भर नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**25.** विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विशेष न्यायाधीश ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 376 (4) (ए) के तहत उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, इसलिए विशेष न्यायाधीश द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाही विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है।विचारण न्यायालय ने रामभरोसे के बयान पर भरोसा करने में अवैधता की है।इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष भारत गुर्जर, ए. श्रीनिवासुलु तथा आदमभाई सुलेमानभाई अजमेरी (सुप्रस) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रखे गए निर्णय के खिलाफ है तथा इस तथ्य के साथ कि न तो सीबीआई द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा न ही विशेष न्यायाधीश द्वारा कोई आदेश दिया गया था, राम भरोसे के बयान पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है तथा इस मामले में खारिज किए जाने योग्य है।

**26.** बिन्दु संख्या 2 पर निष्कर्ष तथा विश्लेषणः––अब बिंदु संख्या 2 और यह भी जांचें कि क्या सीबीआई ने ठोस साक्ष्य के माध्यम से अपीलकर्ता की मांग और स्वीकृति को साबित कर दिया है, इस न्यायालय के लिए गवाह राम भरोसे (पीडब्लू –2) के साक्ष्य का मूल्यांकन करना समीचीन है जिसने कहा है कि उदय कुमार सिन्हा ने अपीलकर्ता को जबरदस्ती पैसे दिए और उसने पैसे स्वीकार नहीं किए और उसकी जेब से पैसे जब्त कर लिए गए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्हें जमानत दी गई थी लेकिन कोई भी मामला किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है तथा वे व्यक्त करते है कि उन्हें सरकारी गवाह नहीं बनाया गया है।इस गवाह ने भी स्वीकार किया है कि उसने घटना को पर्दे की ओट से देखा है.

**27.** विद्वान विचारण न्यायालय को यू.के. सिन्हा तथा अनिल कुमार के बयानों पर भरोसा करते हुए यह पाता है कि राम भरोसे ने परिवादी से पैसे की मांग नहीं की है।भले ही आरोपी के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखा जाए और पैसा राम भरोसे ने रखा था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि राम भरोसे ने पैसे की मांग की थी।बाद के पैराग्राफ में, उन्होंने कहा है कि तर्क हेतु भी, राम भरोसे को सह ापराधी माना जा सकता है, फिर भी उनके साक्ष्य पर विचार किया जा सकता है।लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निष्कर्ष मे कहीं भी दर्ज नहीं किया है कि आरोपी ने पैसे की मांग की थी और अपने निर्णय के कंडिका 43 में यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि यू.के सिन्हा ने टेलीफोन उपकरण बदलने के बदले में आरोपी को पैसा दिया था।इसलिए, यह अवैध परितोषण है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**28.** विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते समय कहीं भी यह निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि क्या आरोपी ने पैसे की मांग की थी और उसके बाद उसे पैसे दिए गए थे।इसके विपरीत, अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि परिवादी ने बल पूर्वक धन देने का प्रयास किया तथा उसने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध को साबित करने के लिए मूल घटक अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी ठोस साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया गया है।अपने बचाव में आरोपी ने कहा है कि परिवादी ने उसे बल पूर्वक धन दिए हैं तथा उसने स्वीकार नहीं किए हैं तथा नोटों को मेज के नीचे फेंक दिया है जो राम भरोसे ने अपनी जेब में रखा था तथा अनावश्यक धारणा तथा अनुमान लगाया है कि चपरासी अपनी जेब में पैसे रखने की हिम्मत नहीं कर सकता है

तथा उसने बिना किसी तुक तथा कारण के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी द्वारा लिए गए बचाव पर विश्वास नहीं किया है जो कि विकृत निष्कर्ष है।

29. अधिनियम, 1988 के उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि एक लोक सेवक द्वारा की गई संतुष्टि और स्वीकृति की मांग का आरोप उचित संदेह से परे स्थापित किया जाना चाहिए।यहां तक कि (2022) एससीसी ऑनलाइन 1724 में रिपोर्ट किए गए नीरज दत्ता बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार के मामले में संविधान पीठ का निर्णय भी उचित संदेह से परे सबूत की इस प्राथमिक आवश्यकता को कमजोर नहीं करता है।संविधान पीठ उन तरीकों के मुद्दे पर विचार कर रही थी जिनके द्वारा मांग को साबित किया जा सकता है।संविधान पीठ ने कहा है कि सबूत के लिए केवल प्रत्यक्ष मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य सहित अन्य साक्ष्य के माध्यम से भी हो सकता है।जब संतुष्टि की मांग को साबित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष को प्रत्येक परिस्थिति को स्थापित करना होगा, जिससे अभियोजन पक्ष चाहता है कि न्यायालय अपराध का निष्कर्ष निकाले। इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल एक परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए कि अभियुक्त द्वारा संतुष्टि की मांग की गई थी।इसलिए, इस मामले में, इस न्यायालय को यह जांच करनी होगी कि मांग का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है या नहीं।यदि इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि मांग का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, तो इस न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या मांग को साबित करने के लिए कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नीरज (सुप्रा) में मामले की रिपोर्ट में पैराग्राफ 74 को निम्नानुसार रखा है:–"74 उपरोक्त चर्चा से जो कुछ सामने आता है उसका सारांश इस प्रकार हैः–

(क) अभियोजन पक्ष द्वारा जारी एक तथ्य के रूप में एक लोक सेवक द्वारा अवैध संतुष्टि की मांग तथा स्वीकृति का प्रमाण अधिनियम की धारा 7 तथा 13 (1) (घ) (i) तथा (ii) के तहत अभियुक्त लोक सेवक के अपराध को स्थापित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

(ख) अभियुक्त के अपराध को घर लाने के लिए, अभियोजन पक्ष को पहले अवैध संतुष्टि की मांग तथा बाद में वास्तविकता के रूप में स्वीकृति को साबित करना होगा।इस तथ्य को या तो प्रत्यक्ष

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है जो मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य की प्रकृति में हो सकता है।

(ग) इसके अलावा, मुद्दे में तथ्य, अर्थात् मांग का प्रमाण और अवैध परितोषण की स्वीकृति को प्रत्यक्ष मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा भी साबित किया जा सकता है।

(घ) इस तथ्य को साबित करने के लिए, अर्थात् लोक सेवक द्वारा अवैध संतुष्टि की मांग तथा स्वीकृति, निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना होगाः

(i) यदि रिश्वत देने वाले द्वारा लोक सेवक से कोई मांग किए बिना भुगतान करने की पेशकश की जाती है और बाद वाला केवल प्रस्ताव स्वीकार करता है और अवैध संतुष्टि प्राप्त करता है, तो यह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार स्वीकृति का मामला है।ऐसे मामले में, लोक सेवक द्वारा पूर्व मांग की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

((ii) दूसरी ओर, यदि लोक सेवक कोई मांग करता है तथा रिश्वत देने वाला मांग को स्वीकार करता है तथा मांगी गई संतुष्टि का भुगतान करता है जो बदले में लोक सेवक द्वारा प्राप्त की जाती है, तो यह प्राप्ति का मामला है।प्राप्ति के मामले में, अवैध संतुष्टि की पूर्व मांग लोक सेवक से उत्पन्न होती है।यह अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (आई) तथा (ii) के तहत एक अपराध है।

(iii) उपरोक्त (i) और (ii) दोनों मामलों में, रिश्वत देने वाले की पेशकश और लोक सेवक की मांग को अभियोजन पक्ष द्वारा क्रमशः एक तथ्य के रूप में साबित करना होगा।दूसरे शब्दों में, किसी अवैध परितोषण को बिना कुछ अधिक स्वीकार या प्राप्त करना इसे अधिनियम की क्रमशः धारा 7 या धारा 13 (1) (डी), (i) और (ii) के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।

इसलिए, अधिनियम की धारा 7 के तहत, अपराध को अंजाम देने के लिए, एक प्रस्ताव होना चाहिए जो रिश्वत देने वाले से आता है जिसे लोक सेवक द्वारा स्वीकार किया जाता है जो इसे अपराध बना देगा।इसी तरह, लोक सेवक द्वारा एक पूर्व मांग जब रिश्वत देने वाले द्वारा स्वीकार की जाती है तथा

वहाँ एक भुगतान किया जाता है जो लोक सेवक द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) तथा (i) तथा (ii) के तहत प्राप्ति का अपराध होगा।

(ङ) अवैध संतुष्टि की मांग तथा स्वीकृति या प्राप्ति के संबंध में तथ्य का अनुमान विधि की न्यायालय द्वारा एक निष्कर्ष के माध्यम से केवल तभी किया जा सकता है जब मूलभूत तथ्य सुसंगत मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित हो गए हों, न कि उसके अभाव में।अभिलेख पर सामग्री के आधार पर, न्यायालय को यह विचार करते हुए तथ्य का अनुमान लगाने का विवेकाधिकार है कि क्या मांग का तथ्य अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है या नहीं।बेशक, तथ्य की धारणा अभियुक्त द्वारा खंडन के अधीन है तथा खंडन के अभाव में धारणा बनी रहती है।

(च) यदि परिवादी 'पक्षद्रोही" हो जाता है, या उसकी मृत्यु हो गई है या वाद के दौरान अपने साक्ष्य देने के लिए अनुपलब्ध है, तो किसी अन्य गवाह के साक्ष्य को देकर अवैध संतुष्टि की मांग को साबित किया जा सकता है, जो पुनः मौखिक रूप या दस्तावेजी साक्ष्य से साक्ष्य दे सकता है या अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा मामले को साबित कर सकता है।इससे न तो वाद समाप्त होता है और न ही आरोपी लोक सेवक को दोषमुक्त करने का आदेश मिलता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(छ) जहाँ तक अधिनियम की धारा 7 का संबंध है, मुद्दे में तथ्यों के प्रमाण पर, धारा 20 न्यायालय को यह अनुमान लगाने का आदेश देती है कि अवैध परितोषण किसी उद्देश्य या पुरस्कार के उद्देश्य से था जैसा कि उक्त धारा में उल्लिखित है।उक्त अनुमान को विधि द्वारा विधिक अनुमान या विधि में एक अनुमान के रूप में उठाया जाना चाहिए।बेशक, उक्त धारणा भी खंडन के अधीन है।धारा 20 अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (i) और (ii) पर लागू नहीं होती है।
(ज) हम स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम की धारा 20 के तहत विधि में अनुमान ऊपर बिंदु (ङ) में संदर्भित तथ्य की धारणा से अलग है क्योंकि पूर्व एक अनिवार्य धारणा है जबकि दूसरा विवेकाधीन प्रकृति का है।

69. उपरोक्त चर्चा और निष्कर्षों के तहत, हम पाते हैं कि बी जयराज और पी.सत्यनारायण मूर्ति मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय और एम नरसिंगा राव मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में कोई विरोधाभास नहीं है,अधिनियम की धारा 7 या 13(1)(डी)

(i) और (ii) के तहत अपराधों के लिए दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए आवश्यक सबूत की प्रकृति और गुणवत्ता के संबंध में, जब परिवादी का प्रत्यक्ष साक्ष्य या "प्राथमिक साक्ष्य" परिवादी की मृत्यु या किसी अन्य कारण से वह अनुपलब्ध है।जब कोई परिवादी या अभियोजन पक्ष का गवाह "पक्षद्रोही" हो जाता है तो विधि की स्थिति पर भी चर्चा की जाती है और ऊपर की गई टिप्पणियाँ तदनुसार साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के आलोक में लागू होंगी। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि उपरोक्त तीन मामलों में निर्णयों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है।76. तदनुसार, इस संविधान पीठ के विचारार्थ संदर्भित प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गया है:परिवादी के साक्ष्य (प्रत्यक्ष/प्राथमिक, मौखिक दस्तावेजी साक्ष्य) के अभाव में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्यों के आधार पर अधिनियम की धारा 13 (2) के सहपठित धारा 7 तथा धारा 13 (1) (डी) के तहत लोक सेवक के दोष/अपराध की अनुमानित कटौती करने की अनुमति है। सह–अपराधी को क्षमादान का प्रस्ताव और धारा 307 में क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति।किसी मामले की प्रतिबद्धता के बाद किसी भी समय, लेकिन निर्णय पारित होने से पहले, न्यायालय, जिसके प्रति प्रतिबद्धता की गई है, वाद में किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित या जानकारी रखने वाला माना जाता है, ऐसे किसी भी अपराध के लिए, ऐसे व्यक्ति को उसी शर्त पर क्षमा प्रदान करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है या उसकी जानकारी रखता है, जिस पर यह धारा लागू होती है,अपराध की जांच या सुनवाई के किसी भी चरण में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और जांच या परीक्षण के किसी भी चरण में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, जांच या अपराध का प्रयास कर रहे हैं,ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान दिया जा सकता है कि वह अपराध से संबंधित अपनी जानकारी में मौजूद सभी परिस्थितियों और उसके कमीशन में संबंधित प्रत्येक अन्य व्यक्ति, चाहे वह प्रधान या सहायक दुष्प्रेरक के रूप में हो, का पूर्ण तथा सही खुलासा कर दे।

30. पूरे तथ्यों तथा परिस्थितियों तथा अभिलेख पर गवाहों के साक्ष्य पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा था।रिश्वत राशि की मांग और स्वीकृति के संबंध में संदेह है, जिसके लिए आरोपी अपीलकर्ता पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13(1) (डी) सहपठित धारा 13(2) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। विचाराण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराते समय मामले के सुसंगत पहलुओं पर विचार नहीं किया है, जिससे अवैधता हुई है, इसलिए, मेरा विचार है कि आरोपी अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त होने का हकदार है।

31. इस प्रकार, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है तथा विशेष आपराधिक मामले संख्या 31/97 में विद्वान विशेष न्यायाधीश, सीबीआई जबलपुर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 17.12.1998 को अपास्त कर दिया जाता है।अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 तथा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13 (2) के तहत अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर दिया जाता है। अपीलार्थी के जमानत पर होने की सूचना है।उनके जमानत बांड दं. प्र. सं. कि धारा 437–ए के तहत खारिज कर दि जाती है तथा अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई जुर्माना राशि इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से एक माह के भीतर वापस कर दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**